उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2013/09(120)/XXVII(8)/2011
देहरादून:: दिनांक:: 11 फरवरी, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 20 की उपधारा (5) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्न माल को, इस निमित्त अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कमिश्नर एक लिखित सामान्य आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि एतद्द्वारा अधिसूचित माल के संबंध में, किसी ऐसे ब्यौहारी या व्यक्ति से, जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किसी प्रपत्र की अपेक्षा हो, उतनी धनराशि की नकद प्रतिभूति, जो ऐसे आदेश (कमिश्नर के आदेश) में विनिर्दिष्ट हो, को जमा करने की अपेक्षा की जायेगी :–

अधिसूचित माल

1– आयरन एण्ड स्टील
2– सीमेंट
3– खाद्य तेल, वनस्पति तेल, अथवां ब्रान आयल
4– मैन्था अथवा मैन्था उत्पाद
5– नदी की बालू, रोड़ी (ग्रिट) अथवा बजरी
6– टिम्बर
7– ईंट

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

सं0 156 /2013/09(120)/XXVII(8)/2011 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

15324
12/2/13

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

........विधि......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
12/2
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून